न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0– 88/2015

श्री विनोद कुमार सिंह, पिता– श्री राम प्रवेश सिंह, सा0–सोनपुर चिड़ियां बाजार, पो0+थाना–सोनपुर, जिला–सारण

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
13.08.2015	यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 2484गो0/, दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक श्री विनोद कुमार सिंह, पिता–श्री राम प्रवेश सिंह, सा0–सोनपुर चिड़ियां बाजार,पो0+थाना–सोनपुर,जिला–सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। आवेदक के द्वारा कार्यालय में संपर्क करने पर उन्हें सूचित किया गया कि उक्त वाद में सुनवाई की तिथि 13.08.2015 निर्धारित की गई है। दिनांक 13.08.2015 को आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे आहार सेवा के निदेशक है। जिसका निबंधन संख्या 92/99 है, जो बिहार सरकार के द्वारा निबंधित है। इससे संबधित कार्यो के निष्पादन के लिए उन्हें बिहार के किसी भी जिला मुख्यालय या उससे संबंधित शाखा में काफी नगद राशि के साथ बराबर जाना होता है। वर्ष 2013 में दिल्ली उतम नगर विधान सभा में जनता दल यू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इस तरह, राजनितिक,सामाजिक एवं संस्थागत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कार्यो के संचालन हेतु बराबर बाहर जाना होता है, जिससे उनके जान माल पर खतरे की सदैव आशंका बनी रहती है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 2484 गो0/, दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, सोनपुर के द्वारा दिनांक 03.04.2015 को प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को अपने व्यवसाय एवं टिकेदारी के काम से बराबर बाहर जाना पड़ता है। इनकी अधिकांश भूमि दियरा क्षेत्र में है। समय समय पर इन्हें काफी पैसा लेकर बाहर निकलना पड़ता है, जिससे इनके जान माल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इनके जान माल की सुरक्षा हेतु इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की जाती है। थानाध्यक्ष,सोनपुर के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही हैं।	

आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के अंश बी की कंडिका 9(सी) में शस्त्र अधिनियम 1959 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत शस्त्र/कारतूस रखने के लिए क्या आवेदक के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा पारित हैं, के जवाब में हाँ अंकित किया गया है। इस बिन्दू पर पुलिस प्रतिवेदन में कोई भी विवरणी अंकित नहीं है।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक श्री विनोद कुमार सिंह, पिता-श्री राम प्रवेश सिंह, सा0-सोनपुर चिड़ियां बाजार,पो0+थाना-सोनपुर,जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक अस्पष्ट वर्ष मार्च 2015 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2085/न्या0, दिनांक 22/8/15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

22/8/15

वरीय उप समाहर्ता,
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।